

बंगाल में द्वैध शासन

शक्ति कुमार*

अपनी दूसरी गवर्नरी में क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी प्रशासन की नींव को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने भारतीय शक्तियों के साथ संधियाँ कीं, कम्पनी में सुधार लाया तथा दोहरी प्रशासनिक योजना तैयार की, जिसे 'द्वैध शासन' के नाम से भी जाना जाता है।

क्लाइव की दूसरी गवर्नरी के समय मीर कासिम तथा मीर जाफर का नामोनिशान नहीं था और नवाब नजमुद्दौला बंगाल की गद्दी पर प्रतिष्ठापित था। क्लाइव ने मुगल बादशाह से फरमान द्वारा कम्पनी के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली थी।¹ फरवरी, 1765 ई० में कम्पनी निजामत का अधिकार (प्रान्त की सुरक्षा) भी ले चुकी थी। इस प्रकार दीवानी और निजामत दोनों ही कम्पनी के पास आ गये थे। दीवानी का अर्थ था, राजस्व वसूलने का अधिकार। दूसरे अर्थों में अंग्रेज कम्पनी इन सूबों के लिए मुगल बादशाह की ओर से दीवान बन गई और इन सूबों से लगान वसूल करने तथा असैनिक न्याय की देखभाल करने का उसे अधिकार प्राप्त हो गया। वस्तु-स्थिति यह हो गई कि शाह आलम को 26 लाख और नजमुद्दौला को 53 लाख रुपये देने के पश्चात् जितना भी भू-राजस्व बचेगा, उसे कम्पनी के पास रखे जाने की व्यवस्था की गई। दूसरे शब्दों में, अवशेष राजस्व रखने के लिए कम्पनी अधिकृत हुई। इस प्रकार कम्पनी एक धनी तथा शक्तिशाली राज्य की स्वामी बन गई।² निजामत अर्थात् शासन करना (शान्ति व्यवस्था तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा) और फौजदारी का न्याय बंगाल के नवाब के अधिकार में रहा। शासन को इन दो भागों में बाँटकर दो विभिन्न शक्तियों के हाथों में दे देने के कारण ही इस शासन को 'द्वैध शासन' (Dual Government) कहा जाता है।

क्लाइव ने इस द्वैध शासन के लिए व्यावहारिक व्यवस्था भी की। क्लाइव ने दो दीवान नियुक्त किये। बंगाल के लिए मुहम्मद रजा खॉ और बिहार के लिए पहले राजा धौरज नारायण, फिर दो वर्ष के बाद राजा सिताबराय को नियुक्त किया।³ राजस्व वसूलने का समस्त कार्य इन नायक दीवानों को था। वे एक निर्धारित राशि कम्पनी के कोष में जमा कराने के लिए उत्तरदायी होते थे। क्लाइव ने निजामत अर्थात् न्याय, शान्ति-स्थापना तथा प्रशासनिक उत्तरदायी को नहीं लिया। निजामत के अधिकार नवाब के हाथों में रहे। इस प्रकार यह आशा की जाती थी कि इन सूबों का दीवान बनने के बाद कम्पनी शासन

के कम-से-कम एक भाग का उत्तरदायित्व सम्भालेगी अर्थात् वह स्वयं लगान वसूल करेगी और असैनिक न्याय का भी प्रबन्ध करेगी। उसने यह सब कुछ भी नहीं किया। क्लाइव ने प्रशासन का अधिकार तो ले लिया था, किन्तु उत्तरदायित्व लेने से इन्कार कर दिया। नवाब अधिकारयुक्त होकर भी निजामत सम्बन्धी कार्य नहीं कर सकता था क्योंकि उसके सूबों में सैनिक शक्ति कम्पनी की ही थी। इस प्रकार कानूनी तरीके से जो अधिकार नवाब को दिये गये थे, वास्तव में उनका प्रयोग कम्पनी ही कर सकती थी। संक्षेप में, क्लाइव की प्रशासनिक योजना की विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व थी। यहाँ दोहरा प्रशासन था। प्रशासनिक कार्य नवाब नजमुद्दौला के कर्मचारियों द्वारा अर्थात् पहल से चली आ रही परिपार्टी के अनुसार ही होता रहा। इसका परिणाम यह था कि कर्मचारियों के अत्याचारों के विरुद्ध सुनवाई करने वाला कोई नहीं रहा। नवाब के पास अधिकार नहीं थे और कम्पनी ने अपने उत्तरदायित्व को सम्भालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। वास्तविक सत्ता की अधिकारिणी कम्पनी थी, लेकिन शासन भारतीयों के हाथों में था। अतः ऐसी शासन-व्यवस्था, जिसमें वास्तविक सत्ता शासन के उत्तरदायित्व को सम्भालने से इन्कार कर दे और अपने कठपुतले को शासन करने तथा उसके उत्तरदायित्व को सम्भालने के लिए बाध्य करे, किसी भी स्थिति में सफल नहीं हो सकती थी।

क्लाइव ने अपने द्वैध शासन की नीति के औचित्य के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक संचालक समिति को लिखा – सरकार के साथ झगड़े के सब कारण समाप्त हो चुके हैं और सम्पत्ति की सुरक्षा और व्यापार की सुरक्षा और स्थानीय निवासियों की व्यक्तिगत सुरक्षा का बीमा कर लिया गया है। हमें नवाब की परछाई में छिपी हुई उस गुप्त कमानी की तरह समझा जाना चाहिए, जो सरकार की विशाल मशीन को गति देती है, जिससे मौलिक ढाँचे को कोई ठेस न पहुँचे। हमारी सत्ता में वृद्धि और उसके (नवाब के) अधिकारों में कमी, उसके अधिकारों पर अतिक्रमण किये बिना ही हो गई है। नवाब के हाथों में समस्त प्रशासन, न्याय-व्यवस्था, पदों पर लोगों की नियुक्ति और समस्त सार्वभौमिक अधिकार हैं।

सच तो यह है कि क्लाइव अपनी कल्पनाओं को यथार्थ सत्य मानता था। उसने दुहरे प्रशासन की नीति चलाकर स्थानीय लोगों के विनाश का बीमा चलाकर और सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया। अंग्रेजी शासन की दृष्टि से द्वैध शासन लाभदायक अवश्य था, किन्तु भारतीय दृष्टिकोण से यह हानिकारक था।

द्वैध शासन के गुण

लॉर्ड क्लाइव के द्वैध शासन के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं :-

1. कम्पनी के राजनीतिक महत्त्व में वृद्धि – द्वैध शासन ने कम्पनी के राजनीतिक महत्त्व को अत्यधिक बढ़ा दिया। दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण कम्पनी की स्थिति में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया। दीवान का कार्य लगान वसूल करना और कुछ सीमा तक न्याय करना था। क्लाइव ने इन दोनों कार्यों का भार दो भारतीय कर्मचारियों – रजा खॉ और सिताब राय को दे दिया। इन प्रकार दीवानी पर तो कम्पनी का अधिकार

रहा किन्तु फौजदारी पर नवाब का ही अधिकार रहा। फौजदारी कार्यों के सम्पादन के लिए नवाब को 53 लाख रुपये वार्षिक देने का निश्चय किया गया, किन्तु सैनिक शक्ति अंग्रेजों ने अपने ही हाथों में रखी और शासन कार्यों में भी नवाब को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी क्योंकि कम्पनी के अधिकारी बराबर हस्तक्षेप किया करते थे। इस प्रकार क्लाइव की चाल ने कम्पनी के हाथ में तलवार और कोष दोनों ला दिया।

2. दीवानी की प्राप्ति से कम्पनी वास्तविक सत्ताधारी — दीवानी ने कम्पनी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। कम्पनी दीवानी की प्राप्ति के बाद ही वास्तविक सत्ताधारी बनी। दीवानी पाकर वह भारतीय जनता के समक्ष एक शासक के रूप में आई। क्लाइव यथार्थ से जूझता था। उसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि 'यद्यपि नवाब के पास केवल नाम और शान रह गये थे, किन्तु ये दोनों चीजें भी हमें उससे छीन लेनी होंगी क्योंकि इनका हमारे पास होना बहुत जरूरी है।' संक्षेप में, कम्पनी अब केवल व्यापार करने वाली संस्था न रहकर शासन करने वाली संस्था बन गई।

3. अंग्रेजी सत्ता पूर्णतः सुदृढ़ — द्वैध शासन से अथवा दीवानी की प्राप्ति से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सत्ता पूर्णतः सुदृढ़ हो गई। अब क्लाइव चाहता तो उत्तरी भारत की ओर भी बढ़ सकता था, किन्तु तत्काल मुसलमानों, मराठों तथा राजपूतों के असन्तुष्ट हो जाने के भय से वह चुप हो गया क्योंकि कम्पनी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वह इसके विरोधियों का एक साथ सामना कर सके। उधर सम्राट इलाहाबाद में रहने लगा और इस कारण वह अंग्रेजों के सम्पर्क में आ गया। अंग्रेजों ने उसे अपने निकट सम्पर्क में पाकर कठपुतली की तरह नचाना प्रारम्भ किया।

4. कम्पनी की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार — दीवानी प्राप्ति से कम्पनी की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। अब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की वार्षिक मालगुजारी लगभग 30 लाख पौण्ड थी, जो अब कम्पनी के कोष में जाने लगी। सरकार और दत्त ने लिखा है कि, 'किसी भी सरकार की नींव अर्थ से ही मजबूत होती है और मजबूत होने से सरकार देश के साधनों तथा हिस्सों पर अधिकार कर सकती थी।' कम्पनी ने भी मजबूत होकर देश के साधनों तथा भागों पर अधिकार करना प्रारम्भ किया। कम्पनी अब बंगाल की ही नहीं देश की स्वामी बन गई। शासन का अध्यक्ष सम्राट था, पर वास्तविक शासन की बागडोर कम्पनी के हाथ में थी।

द्वैध शासन के दोष

लॉर्ड क्लाइव के द्वैध शासन के कुछ दोष भी थे, जो निम्नलिखित हैं :-

1. शक्ति और उत्तराधिकार का पृथक्करण — द्वैध शासन का मूलभूत सिद्धान्त था अधिकार और कर्तव्य का अर्थात् शक्ति और उत्तरदायित्व का पृथक्करण। सम्पूर्ण प्रभुत्व शक्ति कम्पनी के हाथों में केन्द्रित थी और सेना तथा राजस्व का पूर्ण नियन्त्रण स्वयं कम्पनी करती थी। दूसरी ओर शासन का सम्पूर्ण दायित्व नवाब पर रख दिया था। इस प्रकार कम्पनी के हाथ में शक्ति थी तो उत्तरदायित्व न था और नवाब पर दायित्व था तो उसके हाथ में शक्ति न थी। आर्थिक व्यवस्था की बागडोर भी कम्पनी के हाथों में आ गई

थी। अतः इस द्वैध शासन के कारण बंगाल में अराजकता, शोषण, उत्पीड़न और आर्थिक पतन के व्यापक दौर का आना आवश्यक था।

2. जनता का आर्थिक शोषण — कम्पनी ने जनता का आर्थिक शोषण करना प्रारम्भ किया। दीवानी प्राप्ति के पश्चात् क्लाइव ने राज्य को भू का स्वामी समझा और राजस्व वसूल करने का अधिकार वार्षिक नीलामी में सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को दिया जाना था। कम्पनी प्रशासन के पूर्व यह परम्परा थी कि जब तक जमींदार नियमित रूप से राजस्व देता रहता था, उसे हटाया नहीं जाता था। इस प्रकार जमींदार परिवार वंशानुगत होते थे। क्लाइव का उद्देश्य अधिक-से-अधिक राजस्व वसूल करना था और इस कारण जनता का शोषण होना ही था। शासन की सहायता से जमींदारों ने शोषण करना प्रारम्भ किया। अधिक-से-अधिक राजस्व की वसूली की बात की संपुष्टि बंगाल-बिहार से प्राप्त भू-राजस्व के कुछ आँकड़ों से हो जाती है⁴ —

वर्ष	भू- राजस्व (रूपयों में)
1764-65 (दीवानी प्राप्ति के पूर्व)	80,00,000
1765-66	1,49,46,024
1766-67	2,24,67,500

इतना भारी राजस्व वसूलने का अधिकार पुराने जमींदार नहीं लेते थे, इसलिए उस समय में भारतीय समाज में एक नये वर्ग का विकास हुआ, जो किसानों का शोषण करने लगा। इस नये वर्ग के जमींदारों को कृषकों की भलाई अथवा सम्पन्नता में तनिक भी रुचि नहीं थी। राजस्व की मात्रा प्रायः तीन गुना अधिक बढ़ गई थी और उसके साथ इजारेदार (जो नीलाम लेते थे) अपने लिए भी अधिक धन बचाते थे क्योंकि उनका उद्देश्य उसी एक वर्ष राजस्व वसूल करना होता था। संचालक लगान में प्रतिवर्ष वृद्धि करना चाहते थे क्योंकि वे इंग्लैण्ड से धातु मुद्रा नहीं भेजना चाहते थे और भारत से अधिक आयात करके अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते थे। क्लाइव तथा उसके उत्तराधिकारी वेरेलेस्ट ने भी अनुभव किया कि राजस्व की मात्रा अधिक थी और राजस्व वसूल करने वाले कृषकों का शोषण कर रहे थे।

3. राजस्व की अत्यन्त निर्दयता से वसूली — कुछ ही वर्ष गुजरे कि इस द्वैध शासन-व्यवस्था ने आर्थिक कठिनाइयों को स्पष्ट कर दिया। राजस्व की वसूली के लिए अत्यन्त निर्दयता से काम लिया जाता था। राजस्व वसूलने वाले हिन्दू कर्मचारी अंग्रेज प्रभुओं को प्रसन्न करने के लिए भारतीयों (रैयतों) पर घोर अत्याचार करते थे और अधिक-से-अधिक राजस्व वसूल कर लेना चाहते थे। कुल राजस्व में भू-राजस्व की वसूली अधिक होती थी, जिसे निम्न आँकड़ों से समझा जा सकता है⁵ —

वर्ष	कुल राजस्व (रूपयों में)	भू-राजस्व (रूपयों में)
1765-66	2,00,63,133	1,49,46,024
1766-67	3,38,29,494	2,34,67,500

1767—68	3,20,71,195	2,09,69,937
1768—69	1,36,64,072	2,13,52,805
1769—70	2,99,06,976	1,85,72,159

1767 ई० में क्लाइव के स्वदेश वापस जाने के बाद भी उसके उत्तराधिकारियों — वेरेलेस्ट तथा कार्टियर के अधीन देश का आर्थिक शोषण होता रहा। लगान वसूल करने वाले दायित्वहीन कर्मचारियों के शोषण के समक्ष धीरजपूर्वक गरीब रैयतों को झुकना पड़ता था और इससे शनैः-शनैः भारत विनाश की ओर अग्रसर होता गया। 24 मई, 1769 ई० को कम्पनी के एक अनुभवी तथा गुप्त अधिकारी रिचर्ड बिचर द्वारा संचालकों की गुप्त समिति को लिखे गये एक पत्र में इस अवस्था का सही चित्र देखने को मिलता है। पत्र के कुछ शब्द इस प्रकार हैं — 'जिसे अंग्रेज के पास विवेक है उसे यह सोचकर बड़ा दुःख होगा कि कम्पनी को दीवानी मिलने के समय से इस देश के लोगों की दशा पहले से बुरी है और इसमें भी मुझे डर है कि, बात निस्सन्देह ठीक है... यह सुन्दर देश जो अत्यन्त निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन के अधीन भी समृद्ध था, अपने विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है।' इस पत्र के परिणामस्वरूप 1769 ई० में कम्पनी ने स्थानीय राजस्व अधिकारियों के ऊपर नियन्त्रण रखने के लिए अंग्रेज निरीक्षक (बाद में कलक्टर) नियुक्त किये, जिनका काम केवल भारतीय अफसरों के काम की देख-रेख करना था। परन्तु निरीक्षकों ने निजी व्यापार करना प्रारम्भ किया और केयी के अनुसार उलझनों को और अधिक बढ़ा दिया तथा भ्रष्टाचार को सर्वव्यापी कर दिया। संक्षेप में, सर्वत्र भ्रष्टाचार फैलने लगा था। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था प्रायः टूट चुकी थी। आमिल मनमाना अत्याचार करते थे क्योंकि उन पर कोई नियन्त्रण नहीं था। अंग्रेजी कम्पनी को वसूली में रूचि रखती थी, उसने प्रशासन का उत्तरदायित्व नहीं लिया था।

4. कृषि की दशा शोचनीय — द्वैध शासन प्रणाली से कृषि की दशा बिगड़ चली। कृषक खेती छोड़-छोड़कर भागने लगे। अधिक भू-राजस्व देने के कारण कृषक कृषि-कर्म से उदासीन हो चले। भूमि-व्यवस्था का सिद्धान्त भी कृषि की अवनति का कारण बना। अधिक भेंट देकर जमींदार जमींदारी लेते थे और रैयतों से अधिक से अधिक भू-राजस्व वसूल करते थे। वे प्रयास करते थे कि सरकारी लगान की अदायगी कर देने पर भी उनके पास पर्याप्त धनराशि बची रहे। अतः कृषि-कर्म के प्रति उदासीन होना स्वाभाविक था। इस कारण प्रान्त में कृषि उत्पादन कम हो गया। भू-राजस्व से आय कम होने लगी।

5. भारतीय उद्योग तथा व्यापार पतनोन्मुख — इस काल में बंगाल और देश का उद्योग चौपट हुआ और व्यापार को हानि हुई। सही मायनों में प्लासी युद्ध के पूर्व बंगाल उद्योग और कृषि में आगे थे। उद्योग की विशिष्टता के सम्बन्ध में डच पर्यटक स्टेवोरिनस ने लिखा है कि प्लासी के पूर्व औद्योगिक कौशल अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। एक जुलाहा एक ही प्रकार के धागे से यावज्जीवन कार्य करते रहने की क्षमता रखता था।¹ उसी पर्यटक ने बंगाल के औद्योगिक कौशल का बखान करते हुए लिखा है कि, '20 गज से अधिक ढाका की मलमल जेब में रखी जाने वाली तम्बाकू की एक डिबिया

(8 इंच लम्बी, 4 इंच चौड़ी और 1 इंच गहरी) में आ सकती थी। 7 भारत में खनन, धातुकर्म, विज्ञान, जहाज-निर्माण उद्योग भी काफी बढ़े-चढ़े थे।

किन्तु द्वैध शासन के समय से ये सारे उद्योग पतनोन्मुख हो चले। नाममात्र का नवाब अब अंग्रेज कर्मचारियों और उनके गुमाशतों पर नियन्त्रण नहीं रख पाता था। गुमाशते हाटों में जाकर सामग्रियों को खरीदते थे। बाजारों में खरीदारों की संख्या अधिक बढ़ जाने के कारण सामग्रियों की कीमत बढ़ जाती थी। अतः गुमाशतों ने कारीगरों को पेशगी रूपया देना और उनके घरों से ही सामग्रियों को इकट्ठा करना प्रारम्भ किया। घरों पर सामग्रियाँ लेते समय उनकी कीमत कम लगाई जाती थी और कारीगर विवश होकर कम कीमत पर अपनी सामग्रियों को गुमाशतों के हाथ बेचने लगे। इससे औद्योगिक कुशलता में ह्रास आया। अब कारीगर अगली बार बेची जाने वाली सामग्रियों का स्तर गिराने लगे और कारीगरों की यही चाल चलती रही, इस तरह ह्रास की गति बढ़ती रही। गुमाशते सामग्रियों की खरीद में अत्याचार भी करते थे और उनके अत्याचार के विरुद्ध कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। इसके फलस्वरूप बुनकर तथा जुलाहे वस्त्र बुनने का काम बन्द करने लगे। उन्होंने मजदूरों की भाँति खेतों में काम करना प्रारम्भ किया।

एक और कारण से भारतीय उद्योग तथा व्यापार में ह्रास आया। 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति हुई। अपनी इस क्रान्ति को सफल बनाने के लिए इंग्लैण्ड की सरकार ने संरक्षण की नीति अपनायी। 1700 ई० में इंग्लैण्ड की संसद ने यह नियम बनाया कि कोई भी अंग्रेज बंगाल के बने रेशमी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। इसी प्रकार भारतीय सूती वस्त्रों के आयात पर भी नियन्त्रण डाले गये। 1720 ई० के अधिनियम ने सूती वस्त्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया। 1746, 1759 और 1765 ई० में ऐसे अन्य प्रतिबन्ध भी लगाये गये। इस प्रकार 1765 ई० तक भारतीय सूती और रेशमी वस्त्रों पर 45 प्रतिशत आयात कर लगाया जाता था। 1782 ई० में संचालकों के दबाव के फलस्वरूप छपे हुए कपड़ों का इंग्लैण्ड में आयात चार वर्षों के लिए बन्द कर दिया गया। 1790 ई० के बाद सूत और रूई का आयात बढ़ाया और निर्मित वस्त्रों का आयात कम कर दिया गया। इंग्लैण्ड के रेशमी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बंगाल के रेशमी वस्त्र उद्योग को हतोत्साहित किया गया। संचालक समिति ने स्पष्ट आदेश दिया था कि बंगाल में इस उद्योग के विकास पर रोक लगाई जाय और 'यदि आवश्यक हो तो एक सरकारी आज्ञा द्वारा रेशमी कपड़े के उत्पादकों को दण्डित किया जाये। 8 उत्पादकों को रेशमी वस्त्र के उत्पादन कार्य से हटाकर कच्चे रेशम को लपेटने के काम पर लगाने के आदेश दिये गये और कच्ची रेशम लपेटने वालों पर इतने अत्याचार किये गये कि कुछ कारीगरों ने अपने हाथों के अँगूठे तक कटवा दिये, जिससे वे कर्मचारियों के गुमाशतों के अत्याचारों से बच सकें। क्लाइव की दूसरी गवर्नरी के समय में ऐसा बहुत बार होता था कि कम्पनी के सिपाहियों को भेजकर व्यापारियों की कोठियों के दरवाजे तोड़कर रेशम बाँटने वालों को वहाँ से बलपूर्वक उठा लिया जाता और उन्हें अंग्रेजी फौद्री में काम करने

के लिए बाध्य किया जाता था। इसके अतिरिक्त कम्पनी के अधिकारियों ने भारतीय व्यापारियों को व्यापार में खुलकर भाग लेने से रोकना प्रारम्भ किया और उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया। सम्भवतः कम्पनी के कर्मचारियों के अनुचित और अनियमित व्यवहार से भयभीत होकर भारतीय व्यापारी उनके प्रतियोगी नहीं बनना चाहते थे। इस प्रकार बंगाल की सम्पन्नता प्रायः समाप्त होती गयी और देश का उद्योग तथा व्यापार पतनोन्मुख हो गया। कम्पनी की संचालन समिति ने भी 1771 ई० में स्वयं यह स्वीकार किया कि, 'बंगाल में अंग्रेजों के नियन्त्रण स्थापित हो जाने के पश्चात् आर्थिक तथा व्यापारिक अव्यवस्था फ़ैल गयी थी।'⁹

6. दैवी प्रकोपों से नागरिकों की रक्षा करने में सरकार असमर्थ — अभी आर्थिक पतन के गर्त से बंगाल मुक्त भी नहीं हुआ था कि उसे दैवी प्रकोपों का सामना करना पड़ा। उत्तरदायित्वहीन शासन उसके नागरिकों की इन प्रकोपों से रक्षा न कर सका। 1769 से 1777 ई० तक बंगाल जानलेवा ज्वर तथा घातक चेचेक के दौर में पड़ा रहा। इन बीमारियों के कारण बंगाल की आबादी के करीब 35 प्रतिशत लोग मृत्यु के शिकार हुए। 1770 ई० में भीषण दुर्भिक्ष भी पड़ा, जिसने जनता के क्लेश को और भी बढ़ा दिया। इस भीषण क्लेश का उल्लेख कम्पनी के एक अधिकारी ने इस प्रकार किया है — 'मानव दुर्भाग्य का जो दृश्य बंगाल में देखने को मिला, वह वर्णनातीत है। मानवता के नाम पर कलंक है। कई स्थानों पर भूखे लोगों ने मृतकों को खाकर अपने प्राणों की रक्षा की।' इस दुर्भिक्ष की भयंकरता का अनुमान केवल इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि सिर्फ पटना की सड़कों पर लाशें बिछ गई थीं और प्रतिदिन 50-60 व्यक्ति अकाल के गाल में समा जाते थे।¹⁰ इसी तरह मुर्शिदाबाद की सड़कों पर भी शवों के ढेर लग गये थे। बंगाल में सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी घोर दारुण परिस्थिति में कम्पनी की लगान समितियों ने सहायता के नाम पर कष्ट में पड़ी जनता के साथ खासा मजाक किया। उन्होंने एक दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र के लिए, जिसमें चार लाख लोग पीड़ित थे, केवल 5,000 रुपये दिये। कुल मिलाकर मात्र 90,000 रुपये खर्च हुए।

इस दैवी प्रकोप के समय भी कम्पनी के कर्मचारियों के अत्याचार के चक्र चलते रहे। उनके कारण सर्वत्र भ्रष्टाचार फैल गया था और वे अनुचित राजस्व वसूल करते रहे। किसान और जमींदार दोनों समान रूप से कम्पनी का आदिम धन-लोलुपता के लक्ष्य बन चुके थे। अंग्रेजी सत्ता अभिशाप बनकर सभी के सिर पर छा गई थी। अकाल के समय पीड़ितों के प्रति दया का प्रदर्शन करते हुए 5 प्रतिशत लगान माफ कर दिया गया, तो अगले वर्ष 10 प्रतिशत की दर से लगान वसूल किया गया। इस भयंकर संकट से उत्पन्न उपद्रवों को अगली दो पीढ़ियाँ भी शान्त न कर पाईं। अनेक धनी किसान और अभिजात परिवार विनष्ट हो गये। कार्टियर के पास इतनी शक्ति और योग्यता न थी कि वह इस दिशा में किसी प्रकार का सुधार ला सके।

7. कम्पनी के सभी कर्मचारी स्वार्थ और धन-लोलुपता के शिकार — क्लाइव कम्पनी में सुधार लाकर भी उसे सुधार न सका। उसके सारे कर्मचारी स्वार्थी थे और धन-लोलुपता के शिकार बन गये थे। वे कम्पनी के लाभ की जगह अपनी चिन्ता अधिक किया करते थे। अनेक कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने सस्ते दामों पर चावल खरीदकर ऊँचे दामों पर बेचा और मुनाफे की राशि अपने पास रख ली। इस कारण कम्पनी की आर्थिक स्थिति भी संकटग्रस्त हो गई। यह तो मात्र संयोग था कि इसी समय संचालकों का स्थान कम्पनी की इस विषम परिस्थिति की ओर गया और उन्होंने सुधार लाकर इसे संभाल लिया। गवर्नर वेरेलेस्ट के इस कथन में यथार्थ का पुट झलकता है — 'कम्पनी के कर्मचारियों ने बर्बरता के ऐसे कांड किये, जिसकी समता किसी भी देश के इतिहास में नहीं है। वे धनराशि से लदे हुए इंगलैण्ड लौटे।' बंगाल के शासक के रूप में कम्पनी के विभिन्न हित प्रत्यक्ष रूप से विरोधी दिशाओं में कार्य कर रहे हैं और वे एक-दूसरे के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। अतः किसी अन्य नवीन व्यवस्था के बिना दशा अवश्य ही बिगड़ती जायेगी। यदि कम्पनी को अपनी वर्तमान प्रणाली के अनुसार कार्य करने दिया गया तो वह अपना विनाश स्वयं कर लेगी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि द्वैध शासन का परिणाम भारतीयों के हक में अच्छा न था। कम्पनी के लिए भी यह कालान्तर में अच्छा सिद्ध न हुआ। यही कारण था कि इसके दुष्परिणामों को देखकर संचालकों ने इसका अन्त कर दिया और 1772 ई० में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर बनाकर भारतवर्ष भेजा।

सन्दर्भ सूची :-

1. एनिसन — ट्रिटीज एण्ड सनदस, जिल्द 1, पृ० 225
2. एम० एम० एन० डेविस — क्लाइव ऑफ प्लासी, पृ० 400-401
3. सरकार एवं दत्त — आधुनिक भारतवर्ष का इतिहास, पृ० 100
4. नन्दलाल चटर्जी — वेरेलेस्ट, पृ० 225
5. के० के० दत्त — सोशल लाइफ एण्ड इकोनॉमिक कंडीशन, पृ० 48
6. रघुवशी — इण्डियन सोसाइटी इन दि एटीथ संच्युरी, पृ० 322
7. वही, पृ० 325
8. एन० के० सिन्हा — इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ बंगाल, खण्ड 1, पृ० 19 में संचालक समिति का 17 मार्च 1769 के पत्र का उद्धरण
9. एम० एस० जैन — आधुनिक भारत का इतिहास, पृ० 46
10. हण्टर — दि एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, पृ० 410

